सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 18, मंगलवार, *शाके 1946*-जुलाई 09, *2024* *Asadha 18, Tuesday, Saka 1946- July 09, 2024*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 13, 2024

संख्या एफ1(1)श्रम/67/पार्ट 3 :-भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं0-28) की धारा-5के प्रयोजनार्थ एवं सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998के नियम-2 के खण्ड(जी) के अनुसरण मे और इस सम्बंध में पूर्व प्रसारित अधिसूचनाओं की निरन्तरता मे राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित निर्माण कार्यों के लिए निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) नियुक्त करती हैः-

क्र.स.	अधिकारी	निर्माण कार्य जिसके लिए नियुक्त किया गया है
1	संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि) राजस्थान, जयपुर।	राजस्थान मे नियोजक/ठेकेदार द्वारा एक प्रोजेक्ट/कार्यादेश के अंतर्गत एक से अधिक जिलों मे करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान,जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।